भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 604

(दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

कम्युनिटी रेडियो कंटेंट चैलेंज

604. श्री बसवराज बोम्मईः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कम्युनिटी रेडियो कंटेंट चैलेंज मंच स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी आवाज को ताकत देने में योगदान करता है:

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों को हल करने में सामुदायिक रेडियो की भूमिका को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कम्युनिटी रेडियो कंटेंट चैलेंज में विविध क्षेत्रों से और अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सामुदायिक रेडियो का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): सामुदायिक रेडियो कंटेंट चैलेंज का आयोजन 1 से 4 मई, 2025 तक मुंबई में आयोजित वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) के एक भाग के रूप में किया गया

था। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) द्वारा किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों को प्रदर्शित करना था।

इन चैलेंजेस ने सीआरएस को उनकी सृजनात्मक, प्रभावशाली और नवीन सामग्री प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रमों सहित सामुदायिक विकास के महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे।

सामुदायिक रेडियो केंद्रों के विकास को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अर्थात् "भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता" लागू कर रही है। 50.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, यह स्कीम 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए लागू है।

इस स्कीम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1. नए स्थापित सामुदायिक रेडियो केंद्रों को तीन माह तक प्रचालनरत रहने के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. पाँच वर्षों से अधिक समय से कार्यरत स्टेशनों को पुराने उपकरणों के नवीनीकरण या प्रतिस्थापन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
3. कार्यशालाओं, वेबिनारों और सम्मेलनों के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता।
4. सीआर हितधारक आपस में एक दूसरे से सीख सकें उसके लिए क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से हितधारकों को जोड़ना।

*****